

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017**


राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2016-190 दिनांक 08.03.2016 को अतिरिक्त करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची के स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन संदेय स्तम्भ संख्यांक-3 में यथा वर्णित कर की रकम इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, नियत करती है; अर्थात् :-

सूची

क्र.सं.	मद	कर की दर
1	2	3
1.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 748 रु.
2.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 920 रु.
3.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 2185 रु.
4.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 748 रु.
5.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 978 रु.
6.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 1668 रु.
7.	70 मिमी. से अधिक किन्तु 75 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2300 रु.
8.	75 मिमी. से अधिक किन्तु 85 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2875 रु.
9.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 8 के अधीन नहीं आने वाली किसी अन्य लम्बाई की सिगरेट	प्रति हजार 2990 रु.

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-81]

राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**


In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this department's notification number F.12 (11) FD/Tax/2016-190 dated 08.03.2016, the State Government hereby, with immediate effect, fixes the amount of tax payable under the said Act, as mentioned in column number 3 in respect of goods mentioned in column number 2 of the List given below, namely:-

LIST

S. No.	Item	Rate of tax
1	2	3
1.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length not exceeding 60 mm	Rs. 748 per thousand
2.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.920 per thousand
3.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.2185 per thousand
4.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) not exceeding 60 mm	Rs.748 per thousand
5.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.978 per thousand
6.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.1668 per thousand
7.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 70 mm but not exceeding 75 mm	Rs.2300 per thousand
8.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 75 mm but not exceeding 85 mm	Rs.2875 per thousand
9.	Cigarettes of any other length not covered under serial number 1 to 8 above.	Rs.2990 per thousand

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-81]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government